भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1668
18 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

नगरपालिका सेवाओं की संपरीक्षा

1668 श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने कितनी नगरपालिका संपरीक्षाएं की हैं;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय सतत आवास मिशन द्वारा अनुशंसित नगरपालिका सेवाओं का वार्षिक संपरीक्षा करने का इरादा रखती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में नगर निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 का अनुच्छेद 243 (य) राज्यों को नगर पालिकाओं के खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रावधान करने के लिए कानून अधिनियमित करने का अधिकार देता है। शहरी स्थानीय निकायों के खातों की प्राथमिक लेखापरीक्षा और इनका प्रमाणीकरण संबंधित राज्यों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग (डीएलएफए) द्वारा किया जाता है, जो स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा निदेशक के अधीन कार्य करता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संबंधित राज्यों

द्वारा सौंपे गए कार्य के तहत, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभागों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन (2021-2030) ने सिफारिश की है कि सभी नगर निगम सभी नगरपालिका सेवाओं का एनर्जी ऑडिट कर सकते हैं, जिनमें वार्षिक आधार पर जल आपूर्ति, सीवेज और वर्षा जल निकासी प्रबंधन शामिल हैं। इन ऑडिट के संचालन का अधिदेश राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ड.) स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत "स्वच्छ सर्वेक्षण" सर्वे शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष में एक बार किया जाता है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के तहत शहरों में जल आपूर्ति की गुणवत्ता, मात्रा और कवरेज के संबंध में सेवा स्तर के बेंचमार्क के अनुपालन का आकलन करने के लिए 485 अमृत शहरों में पेय जल सर्वेक्षण की एक चुनौती प्रक्रिया के रूप में परिकल्पना की गई है।
